जिसके सदस्य तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चिकित्साधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण होंगे, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी को यह धनराशि एक मुश्त दी जायेगी।

4. निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु अनुदान

● **पात्रता** : उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो तथा उसकी मासिक आय रु 1000/- प्रतिमाह से अधिक न हो, तथा वह पूर्णतया निराश्रित हो।

● **चयन** : ग्राम सभा की खुली बैठक में ऐसी महिलाओं का नाम प्रस्तावित कर जिला परिवीक्षा अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

● **भुगतान** : चयनित पात्र लाभार्थियों को रु० 125/- प्रति माह की दर से वर्ष में दो बार (रु० 750/- प्रति छः माह) धनराशि देय होती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनायें

● **अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति** :— कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति का प्रेषण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा खुले ''छात्रवृत्ति खाता'' के माध्यम से किया जाना है एवं शहरी क्षेत्रों में विद्यालय के द्वारा खोले गए ''समाज कल्याण छात्रवृत्ति'' खाता में किया जाना है।

दरें : कक्षा 1 से 5 तक रु० 25/- कक्षा 6 से 8 तक 40/- रुपये की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 9 व 10 में रु० 60/- प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है तथा 2500/- प्रति माह तक की आय सीमा के माता-पिता/अभिभावक से सम्बन्धित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

दशमोत्तर तथा उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु० 38220/- तक है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क निर्धारित दर पर प्रदान की जाती है। इससे अधिक किन्तु रुपये 50920/- तक वार्षिक आय के आवासीय छात्र को रु० 190/- तथा छात्रावासीय छात्र को रु० 290/- की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग की डिग्री वाले छात्रों को रु० 190/- तथा छात्रावसीय वर्ग के छात्रों को रु० 425/- की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त डिग्री के इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा छात्र को रु० 500/-तथा डिप्लोमा छात्र को रु० 250/- वार्षिक की दर से पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

आई०टी०आई० छात्रवृत्ति के समस्त अनुसूचित जाति के छात्रों को रु० 50/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

● **अस्वच्छ पेशा जातियों से जुड़े छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति** :— अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को 1 से 5 कक्षा में रु० 25/-, 6 से 8 में रु० 40/- एवं 9 व 10 में रु० 50/-प्रति माह की दर से वर्ष में 10 माह की छात्रवृत्ति तथा 500/- एक मुश्त अनुदान प्रदान की जाती है। छात्रावास में रहने वाले कक्षा 3 से 8 तक 200 रुपए कक्षा 9 व 10 में रु० 250/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

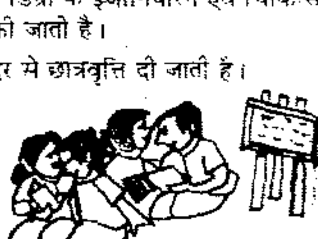

● **विमुक्ति जाति छात्रवृत्ति** :— कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति की तरह खुले खाते के माध्यम से की जाती ह। जिस छात्र के माता-पिता/अभिभावक की आय 1000/- तथा कक्षा 9 व 10 के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 25000/- तक है, को कक्षा 2 से 5 तक रु० 25/- कक्षा 6 से 8 तक रु० 40/- तथा 9 व 10 में रु० 60/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

पात्रता : शादी अनुदान में व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो तथा उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु० 11000/- तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 12,000/- वार्षिक हो।

चयन : शादी हेतु आवेदन पत्र भरकर, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र चिकित्साधिकारी से संलग्न कर खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें।

भुगतान : **'प्रथम आगत, प्रथम पावत'** के आधार पर चयनित लाभार्थियों को रेखांकित चेक के माध्यम से रु० 10000/- का भुगतान किया जाता है।

अनु० जाति-हेतु बीमारी में अनुदान

चयन : दमा, टी०बी०, कैंसर इत्यादि गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साअधीक्षक के प्रामण-पत्र सहित आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें।